<u>अति महत्वपूर्ण/संसदीय समिति मामला</u>

सं0 ई. 11011/1/2020-हिन्दी/ (सं.रा.स.) /246

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

906(द), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110066

दिनांकः 04 नवम्बर , 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में (आश्वासन संख्या 1.) ।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 20.08.2020 को केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) का निरीक्षण किया गया था। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा माननीय समिति को कुछ आश्वासन दिए गए थे, जिन पर निर्धारित समय सीमा में अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है। उक्त निरीक्षण के दौरान, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा माननीय समिति को आश्वासन दिया गया कि **<u>'प्रवीणता प्राप्त उप-सचिव एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा शत प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाएगा। (आश्वासन संख्या 1.)</u>**

संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत प्रश्नावली में उप-सचिव एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा 65% कार्य हिन्दी में करने का उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग "क" क्षेत्र में स्थित है, अतएव सभी सरकारी कार्य हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है। समिति का भी मानना है कि

उच्च अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य करने से अन्य अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है और वे भी उनका अनुसरण करते हैं। संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, राजभाषा हिंदी का कार्यालय में सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करने हेतु यह आवश्यक है कि उच्च अधिकारी हिंदी में काम करें।

अतः अनुरोध है कि उक्त आश्वासन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए सभी प्रवीणता प्राप्त उप-सचिव एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी टिप्पण एवं पत्राचार शत प्रतिशत हिंदी में करें ताकि दिसम्बर, 2020 की तिमाही रिपोर्ट में प्रदर्शित हो। साथ ही की गई कार्रवाई कि, **उप सचिव एवं उप सचिव स्तर के सभी अधिकारी शत-प्रतिशत सरकारी कार्य हिन्दी में कर रहे हैं**, की सूचना हिंदी अनुभाग को दिनांक-29.01.2021 तक अवश्य भिजवा दें ताकि संसदीय राजभाषा समिति को यथा समय की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में (अर्थात 28.02.2021 तक) भिजवाई जा सके ।

5/11/2020

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष सं: 29583720

उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के सभी अधिकारी